न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-115/2015

1- कुमारी कोमल आयु-13 वर्ष पुत्री सुभाष
2- राहुल आयु-11 वर्ष पुत्र सुभाष
3- कुमारी तनिजा आयु 9 वर्ष पुत्री सुभाष

जाति सौनी निवासी ग्राम मीरण तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर । नाबालिग जरिये संरक्षिका माता स्वयं बेबी देवी पत्नी सुभाष जाति सौनी निवासी ग्राम मीरण तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल निवासी रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- दुर्गा पुत्र गीगा
2- सुभाष पुत्र दुर्गा
3- जसोदा देवी पत्नी मूलचन्द

जाति सुनार सोनी निवासीगण मीरण तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

4- पटवारी हल्का मीरण तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

5- गिरदावर हल्का जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

6- उप पंजीयक नेछवा जिला झुन्झुनू सीकर ।

7- उप पंजीयक लक्ष्मणगढ जिला सीकर

8- तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर भू-धारक राजस्थान सरकार ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 01-7-2015 द्वारा
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सुरेश कुमावत एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सागरमल धायल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक- 8.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस् ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती खाता एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रभावहीन व शून्य घोषित किये जाने विक्रय पत्र का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 145 रकबा 6.89 हैक्टर वाके ग्राम मीलों की ढाणी एवं खसरा 161/1 रकबा 6.0700 हैक्टर व खसरा नं0 717 रकबा 0.0600 हैक्टर वाके ग्राम मीरण अवस्थित है । जो वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 व 2 के पूर्वज गीगा पुत्र कालू सुनार के खाते कब्जे की भूमिया है । गीगा के दो पुत्र मोहन व दुर्गा हुये दुर्गा के 5 पुत्र हुये जिसमें सुभाष वादीगण का पिता है ।गीगा के फौत होने पर उक्त आराजी उसके दोनो पुत्रों मोहन व दुर्गा के नाम सम्वत 2015 में दर्ज हो गई । जिसका विभाजन मोहन एवं दुर्गा ने करवा लिया । जिसमें मोहन के हिस्से की भूमियों का कोई विवाद नहीं । विभाजन के बाद ख0नं0 145/2 रकबा 1.93 हैक्टर वाके ग्राम मीलो की ढाणी एवं खसरा नं0 161/1/1 रकबा 2.25 हैक्टर एवं ख0नं0 717/2 रकबा 0.03 हैक्टर वाके ग्रामी मीरण वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 व 2 की संयुक्त कब्जा काश्त की अविभाजित भूमियां है । जो पैत्रिक है । इस प्रकार दुर्गा के 5 पुत्रों का 1/5, 1/5 हिस्सा बनता है जिसमें वादीगण का अपने पिता प्रतिवादी संख्या-2 के 1/5 हिस्से में वादीगण प्रत्येक का 1/20 हिस्सा है । प्रतिवादी सं0-1 से 3 ने आपस में साज कर एक नुमाईशी व प्रर्दशनी विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0-3 के नाम वादीगण के हिस्से सहित करवा दिया । जबकि वादी -गण का विवादित आराजी पैत्रिक होने से उन पर उनका कब्जा काश्त है । प्रति -वादी सं0-1 से 3 वादीगण की माता से रोज झगडा आराजी को लेकर करते है। इस कारण वादीगण अपने सम्भाग 1/20, 1/20 प्रत्येक की घोषणा का यह दावा किया जिसे अदालत मातहत ने साबित नहीं होने से खारिज कर दिया । जिससे से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 3 बावजूद सूचना अदालत मातहत में हाजिर नहीं आये जिस पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा रेस्पो0/प्रतिवादी सं0-2 की तलबी में चल रहा था तथा दावा में वादीगण को आगामी पेशी 27-7-15 बताई गई जो पत्रावली पर दर्ज है । अदालत मातहत ने वादीगण को बिना कोई सूचना दिये ही दिनांक 1-7-15 को नियत तारीख पेशी से पूर्व ही अन्यत्र ग्राम गाडोदा कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया । जिसमें प्रतिवादी सं0-1 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित गलत बताया है । जबकि प्रतिवादी सं0-1 की विधिवत तामिल होने पर भी वह दिनांक 27-10-2014 को अदालत मातहत में उपस्थित नही हुआ जिसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी ।तथा प्रतिवादी सं0-1 ने कोई जबाब दावा पेश नहीं किया । बिना जबाब दावा के अर्थात दावा का खण्डन किये बिना ही वादीगण का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है । पत्रावली में तलबी के लिये कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद भी प्रकरण को लोक अदालत अभियान का हवाला देकर निर्णय करने में कानूनी भूल की है । तथा नियत तारीख पेशी से पूर्व अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो विधि के विरूद्ध है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराया तथा विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने दावे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने की सहायता

चाही है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । अदालत मातहत का निर्णय उचित है । अपील खारिज की जावे । बहस पर मनन किया गया अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 30-3-15 में पत्रावली प्रतिवादी सं0-2 की तलबी में रखकर आगामी पेशी 27-4-15 नियत की गई । इसके बाद लगातार दो पेशियों में अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन रहा । जिसमें दिनांक 18-6-15 को आगामी पेशी 27-7-15 नियत की गई । किन्तु अदालत मातहत ने दिनांक 27-7-15 से पूर्व दिनांक 01-7-15 को ही बिना प्रतिवादी सं0-2 की तलबी करवाये दावे का निर्णय कर दिया जो अपने आप में स्पष्ट है कि न तो अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया और न ही दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया को अपनाया गया है । अदालत मातहत का आदेश बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये पारित किया है जिसे हम यथावत रखा जाना उचित नही मानकर प्रकरण को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01-7-2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर अवसर देते हुये प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 2-2-18 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 8.1.2018 को सुनाया गया ।

(भंवर लाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर